कार्यालय, अधीक्षक सदर अस्पताल हजारीबाग
पुर्न:निविदा सूचना

1. विभाग का नाम – स्वास्थ्य विभाग
2. निविदा विवरणी – स्वा0 विभाग, हजारीबाग जिलान्तर्गत दवाओं एवं अन्य आईटम्स के क्रय हेतु।
3. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता – अधीक्षक,सदर अस्पताल, हजारीबाग।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य –5000.00(पॉच हजार) रूपयें का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो अधीक्षक,सदर अस्पताल, हजारीबाग के पदनाम से निर्गत होगा। यह राशि अप्रत्यपर्णीय **(Non – Refundable)** होगी।
5. परिमाण विपत्र के विक्रय की तिथि, समय तथा स्थान – दिनांक 20.05.2017 तक 10:30 पूर्वाह्न से कार्यालय अवधि तक; अधीक्षक कार्यालय सदर अस्पताल, हजारीबाग से प्राप्त किया जा सकता है।
6. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि समय एवं स्थान – दिनांक 05.06.2017 के 10:30 पूर्वाह्न से कार्यालय अवधि तक।
7. निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान – 06.06.2017 , समय 03:30 बजे अपराहण में, सिविल सर्जन हजारीबाग के कार्यालय प्रकोष्ठ में।
8. पूर्व की निकाली गयी निविदा को संशोधित समझा जाय।

नोट : निविदा की शर्तें **hazaribagh.nic.in** एवं कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

अधीक्षक,
सदर अस्पताल, हजारीबाग।

निविदा सं0 01 / 17–18.

कार्यालय, अधीक्षक, सदर अस्पताल, हजारीबाग।

निविदा सं0 01/17–18

स्वास्थ्य विभाग, हजारीबाग जिलान्तर्गत सभी संस्थानों में दवा, रसायन एवं अन्य आईटम्स इत्यादि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्ते

1. निविदा मूल प्रति में दिनांक 05/06/17 के 10:30 पूर्वाहन् से कार्यालय अवधि तक अधीक्षक कार्यालय, सदर अस्पताल, हजारीबाग में निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जायगी। निविदा दिनांक 06/06/17 को 03:30 बजे अपराहन् में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी। निविदादाता स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस अवसर पर उपस्थित रह सकतें हैं।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य – 5000.00(पॉच हजार) रूपयें का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो अधीक्षक,सदर अस्पताल, हजारीबाग के पदनाम से निर्गत होगा। यह राशि अप्रत्यपर्णीय (Non – Refundable) होगी।
3. निविदा द्वैध लिफाफा पद्धति (Double Bid System) के अन्तर्गत तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में (तत्पश्चात् दोनों को एक मुहरबंद लिफाफे में) प्राप्त की जायगी। तकनीकि निविदा में सफल उम्मीदवारों का ही वित्तीय निविदा खोला जायगा।
4. तकनीकि निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 2,00,000.00 (दो लाख रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट अधीक्षक, सदर अस्पताल, हजारीबाग के पदनाम से संलग्न करना होगा।
5. वित्तीय निविदा हार्ड एवे सॉफट कॉपी में देना होगा ।
6. सरकारी प्रतिष्ठान इस निविदा में भाग ले सकतें हैं। सरकारी प्रतिष्ठान अग्रधन से मुक्त रहेगें।
7. निर्माता कंपनी का स्वयं अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं को निर्माता कंपनी का 1. रूग्णावस्था अथवा काली सूची में दर्ज नहीं होने, निविदा में अंकित निर्माता कंपनी वर्तमान में दवा का निर्माण कर रही है एवं काली सूची में दर्ज नहीं है, 2. छोटी से छोटी मात्रा भी दवा, रसायन एवं अन्य आईटम की आपूर्ति हर हाल में की जायगी एवं 3. निविदादाता/कम्पनी किसी भी तरह के अनियमित कार्य के लिये स्वयं जिम्मेवार होगें और उसके लिये वैधानिक कारवाई करने के लिये अधीक्षक, सदर अस्पताल, हजारीबाग स्वतंत्र होगें, का एतद् संबंधी 1st Class Megistrate के समक्ष घोषित शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का मूल प्रति में संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता स्वयं निर्माता कंपनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता हो सकतें हैं परन्तु निर्माता द्वारा अधिकृत करने संबंधी प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा। संबंधित संस्थानों में उन्हीं दवाओं या अन्य आईटम्स की आपूर्ति स्वीकार की जायगी जिसके लिये निर्माता कंपनी द्वारा सीधा प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया हो। तकनीकि निविदा के साथ प्राधिकार पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।
9. तकनीकि निविदा के साथ 1. अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट 2. वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 का आयकर रिर्टन, सी0 ए0 (Charted Accountant) द्वारा निर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन, बैलेंस सीट, टर्न ओवर सर्टिफिकेट (Not less than one crore rupees for Financial Year 2014-15, 2015-16 & 2016-17), अनुभव प्रमाण पत्र (Certificate for Standing in Indian market of bidding company/firm) 3. पैन नं0 4. झारखंड वाणिज्य कर/वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5. वाणिज्य कर/वैट चुकता प्रमाण पत्र (स्वच्छता प्रमाण पत्र) 6. दवा विक्रय अनुज्ञापन प्रमाण पत्र (Drug License) की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. निर्माणकर्ता / प्रतिष्ठानों / प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा वित्तीय निविदा में कर रहित दर अंकित करेगें। आपूर्ति के पश्चात् भुगतान हेतु समर्पित किये जाने वाले विपत्र में सरकार द्वारा निर्धारित कर अलग से अंकित करना होगा।
11. निविदादाता के द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में प्रत्येक वर्ष का कम – से–कम तीन जिलों के द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।
12. निविदादाता फर्म / कंपनी ISO Certified होना आवश्यक है।
13. जिस कंपनी का दवा या अन्य आईटम आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जायगी संबंधित कंपनी का झारखंड राज्य में स्टॉकिस्ट होना अनिवार्य होगा।
14. औषधि उत्तम गुणवता की होनी चाहिये। निविदादाता WHO/GMP/ISO/CE/BIS Certificate संलग्न करेगें।
15. सरकार के द्वारा समय – समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप विपत्र से कर की कटौती की जायगी।
16. किसी भी परिस्थिति में Cutting or Overwritting मान्य नहीं होगा।
17. निविदादाता के द्वारा तकनीकि निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का चेक लिस्ट संलग्न करना होगा, जो कार्यालय के द्वारा प्राप्त होगा।
18. आपूर्तिकर्ता को क्रयादेश प्राप्त होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर अपने व्यय पर संबंधित संस्थानों के भंडारगृह तक आपूर्ति करना होगा। इसके लिये कोई अन्य राशि नहीं दिया जायगा। ऐसा नहीं करने पर उनका अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायगी।
19. आपूर्तिकर्ता को छोटी से छोटी मात्रा भी आपूर्ति करनी होगी।
20. निविदादाता को Narcotic Drugs ,AVS,ARV,Chemicals का दर निश्चित रूप सें अंकित करना अनिवार्य होगा ।
21. दवा आपूर्ति के समय दवा, रसायन या अन्य आईटम्स की तिथिवाद कम से कम 18 माह तक होना चाहिये।
22. वैधानिक मामलों का निष्पादन हेतु न्यायिक क्षेत्र हजारीबाग होगा।
23. किसी भी दवा या अन्य आईटम्स के दर में संशोधन का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
24. यह निविदा अगले एक वर्ष / अगले क्रय समिति के बैठक होने तक मान्य होगा।
25. बिना कारण बताये किसी भी निविदा या पूरी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

अधीक्षक
सदर अस्पताल हजारीबाग।